

पुरुष का शादी के बाद पर नारी से प्यार

समस्या

1. पी कार्ड धारक पुरुष । शादी के बाद । पत्नी के साथ रहते हुए । पत्नी के साथ होते हुए । पत्नी के अलावा । किसी अन्य पर नारी के । प्यार के चक्कर में पडता है । य शादी से पहले का प्यार । नियमित रखता है । तो यह बहुत गलत है । पुरुष को । इसे तुरन्त बन्द कर देना चाहिए ।
2. किसी भी क्षेत्र में । चाहे । समाजिक । राजनैतिक । व्यापार क्षेत्र । खेल क्षेत्र । फिल्म क्षेत्र । य अन्य किसी भी क्षेत्र में । पुरुष । किसी अन्य पर नारी के । प्यार के चक्कर में पडता है । य शादी से पहले का प्यार । नियमित रखता है । तो यह बहुत गलत है । पुरुष को । इसे तुरन्त बन्द कर देना चाहिए ।

पी कार्ड धारक पुरुष । शादी के बाद । पर नारी के प्यार के चक्कर के

कारण

1. खुद के भविष्य की चिन्ता नहीं करता । पत्नी के भविष्य की चिन्ता नहीं करता । बच्चों के भविष्य की चिन्ता नहीं करता । पत्नी की चिन्ता नहीं करता । घर संसार की चिन्ता नहीं करता । ससुराल पक्ष की चिन्ता नहीं करता है । समाज और देश की चिन्ता नहीं करता ।
2. पत्नी के प्यार विस्वास को । धोखा देता है । ससुराल पक्ष के । प्यार विस्वास को धोखा देता है । माता पिता । भाई बहन । के प्यार विस्वास को । धोखा देता है ।
3. माता पिता । भाई बहन । के सम्मान की । चिन्ता नहीं करता ।
4. समाज और देश में । अनैतिकता फैलाने की । दोषी पाया जाता है ।
5. ऐसे पी कार्ड धारक पुरुष का । विस्वास नहीं किया जा सकता ।
6. क्योंकि ऐसे पुरुष घर में । पति पत्नी के बीच कलह । और दोनों परिवारों के बीच कलह ।
7. झगडा । दुस्मनी । हत्या । आत्म हत्या । और हत्यायों का । कारण बनते हैं ।
8. और कई । सुखी घर संसार । बिखर कर । तार तार । हो जाते हैं ।

समाधान उपाय पति के अवैध प्रेम संबध के कारण तलाक कोर्ट के द्वारा मिलेगा ।

1. यदि पति के । अवैध प्रेम संबधों के कारण । पति पत्नी में तलाक होता है । तो पति के उपर 21 वर्ष के कम लडके को । रखने का विस्वास नहीं किया जायेगा ।
2. 21 वर्ष के कम लडका । माँ के पास रहेगा । य सरकारी बाल संरक्षण ग्रह में रहेगा ।

3. यदि 21 वर्ष के कम लडका । सरकारी बाल संरक्षण ग्रह में रहता है । तो पिता को । 1 लाख रू दण्ड के रूप में । भारत सरकार में जमा कराना होगा ।
4. यदि 21 वर्ष के कम लडका । माँ के पास रहता है । । तो पिता को । 1 लाख रू दण्ड के रूप में । माँ के पास जमा कराना होगा ।
5. पी कार्ड धारक ऐसी पुरुष । शादी के बाद ।, पर नारी से प्यार करने वाले को । सबूत के आधार पर । समाज में । अनैतिकता । पत्नी के साथ विस्वास घात । व बच्चों के लिए गैर जिम्मेदार । घर संसार में कलह । सम्भावित हत्यायें । सम्भावित आत्महत्यायों का । दोसी पाए जाने पर ।
6. ऐसी अविस्वासनीय पति को । कोर्ट द्वारा । 2 वर्ष के लिए जेल भेजा जायेगा । पति का पी कार्ड । व अन्य कार्ड । पुलिस के पास जमा हो जायेंगे ।
7. और पति पत्नी के बीच कोर्ट द्वारा । तलाक हो जायेगा । और पत्नी दूसरी शादी कर सकती है
8. पुरुष को 2 वर्ष बाद जेल से वापस आने पर । पुलिस के पास जमा । पी कार्ड । व अन्य कार्ड । पुरुष को वापस मिल जायेंगे ।
9. और वापस सरकारी सुविधायें मिलेंगी । और पुरुष नई जिन्दगी शुरू कर सकता है ।
10. य पति पत्नी दोनों । आपस में समझौता करके । अपने बच्चों के साथ । नई जिन्दगी की शुरुवात कर सकते हैं ।

जय विश्व अग्रणी भारत की